

श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार
जयपुर

विषय :- जनरल मेरिट में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राजकीय सेवाओं में अनारक्षित (unreseved) रिक्तियों में नियुक्तियां देने के क्रम में।

प्रसंग :- राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग (ए-जीर II) का परिपत्र संख्या एफ. 7 (1) डी.ओ.पी. /ए-11/99 दिनांक- 26 जुलाई, 2017 जयपुर के सन्दर्भ में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक परिपत्र के सन्दर्भ में राजस्थान राज्य की समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आरक्षण मंच, राजस्थान निम्नलिखित तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर निम्न अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है:-

01. राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 3609/2017 शीर्षक दीपा ई.वी. विरूद्ध भारत संघ व अन्य के निर्णय दिनांक - 06 अप्रैल, 2017 का सन्दर्भ देते हुए उक्त परिपत्र दिनांक - 26 जुलाई, 2017 बिना विधिक स्थिति का आंकलन किये आनन फानन में जारी किया गया है जो अब तक सुस्थापित विधिक स्थिति के विपरीत होकर इन समुदायों के सदस्यों को हानि पहुंचाने के लिये जारी किया गया है।
02. यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय में किसी भी राज्य सरकार को इसकी अनुपालना में अधिसूचना या परिपत्र जारी करने के कोई निर्देश नहीं हैं। इस प्रकार राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा स्वतः जारी परिपत्र दिनांक- 26 जुलाई, 2017 पूर्णतः उक्त निर्णय के विपरीत होकर विधि सम्मत नहीं है।
03. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय में एक्सपोर्ट इन्सपेक्सन कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भारत सरकार में रिक्तियां एक्सपोर्ट इन्सपेक्सन ऐजेन्सी (रिक्लूटमेंट) नियम, 1980 के अन्तर्गत रिक्तियां भरी गई हैं। तदानुसार यह निर्णय उक्त विभाग के नियमों के सन्दर्भ में जारी किया गया है। अतः इसे अन्य राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि राजस्थान के विभिन्न सेवा नियमों में ऐसे प्रावधान होकर प्रभावी नहीं है। इस प्रकार उक्त निर्णय के सन्दर्भ में परिपत्र जारी करना सुस्थापित विधि के विपरीत है जिससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

04. यह कि परिपत्र दिनांक –26 जुलाई, 2017 विभाग के दिनांक–04.03.2014 के उल्लंघन में जारी किया गया है, इससे पूर्व इस सम्बन्ध में दिनांक– 11.05.2011 एवं 04.03.2002 को विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर इस बिन्दु पर लाभान्वित किया गया था। इस प्रकार सन्दर्भित परिपत्र जारी करने से इन समुदायों के अभ्यर्थियों को जो जनरल मेरिट में आते हैं उनको जनरल श्रेणी में नियुक्ति नहीं देकर उनके हितों पर कुठाराघात किया गया है।

इसी क्रम में इन्दिरा साहनी विरुद्ध भारत संघ (1992 SUPP, (3) SCC 217½ ¼माननीय 9 न्यायाधीशों की वृहद पीठ), आर. के. सबरवाल विरुद्ध पंजाब राज्य ((1995) 2 SCC 745)(माननीय 5 न्यायाधीशों की पीठ), एम. नागराजन विरुद्ध भारत संघ व अन्य (2006 AIR SCW–5482 SC), रोहताश भारखर विरुद्ध भारत संघ, जितेन्द्र कुमार सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ((2010) 3 SCC 119) विकर सांखला विरुद्ध विकास अग्रवाल व अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के निर्णयों में यह निर्णित किया गया है कि यदि इन वर्गों का अभ्यर्थी अनारक्षित/मैरिट के अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करता है तो उसे अनारक्षित/मैरिट की रिक्तियों के विरुद्ध ही चयनित कर नियुक्ति दी जाएगी।

संविधान की भावना के अनुरूप केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राजकीय सेवाओं/शिक्षा/राजनीति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अतः इन वर्गों की हजारों वर्षों की दयनीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए विशेष छूट यथा–आयु,प्राप्तांक,शारिरिक मापदण्डों तथा आवेदन शुल्क में प्रदान की गई थी ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। चूंकि आज भी इन वर्गों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है, अतः दिनांक 26 जुलाई 2017 को जारी परिपत्र इन वर्गों के हितों पर भारी कुठाराघात है।

अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आरक्षण मंच, राजस्थान निवेदन करता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26 जुलाई, 2017 को प्रत्याहृत (withdraw) कर इस वर्ग के अभ्यर्थी जो सामान्य/मेरिट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी के विरुद्ध ही चयनित कर नियुक्तियां दी जाने का प्रावधान पूर्वानुसार लागू किया जाए।

भवदीय

जे.पी.विमल

अध्यक्ष

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।